

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-4/कृ०शि०को- 52/2016-

1129

/कृ०, पटना, दिनांक 27-2-2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।  
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

+1) अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित।

विषय : बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मुख्यालय परिसर के उत्तरी भाग में बाढ़ सुरक्षात्मक बांध के निर्माण कार्य हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान मद में पूर्व में स्वीकृत 281.51 लाख (दो करोड़ एकासी लाख एकावन हजार) रुपये के अतिरिक्त 56.98 लाख (छप्पन लाख अठानबे हजार) रु० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 3179 दिनांक- 09.08.2017 के क्रम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मुख्यालय परिसर के उत्तरी भाग में बाढ़ सुरक्षात्मक बांध के निर्माण कार्य हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान मद में पूर्व में स्वीकृत 281.51 लाख (दो करोड़ एकासी लाख एकावन हजार) रुपये के अतिरिक्त 56.98 लाख (छप्पन लाख अठानबे हजार) रु० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के पत्र संख्या- 4194 दिनांक- 28.11.2017 के क्रम में उक्त परियोजना की लागत 338.49 लाख रु० आकलित की गई है, जिसमें से पूर्व में स्वीकृत राशि को घटाने के बाद शेष 56.98 लाख रु० की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त पत्र एवं परियोजना प्रस्ताव अनुसूची- 1 के रूप में संलग्न है। कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 3179 दिनांक- 09.08.2017 द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

3. उक्त योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि 56.98 लाख (छप्पन लाख अठानबे हजार) रु० का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित बजट मुख्य शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उपशीर्ष-0108-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड- 01-2415012770108 के अधीन कुल उपबंधित 16434 लाख रुपये में से विषय शीर्ष- 0108.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित 11897.16 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

4. व्यय हेतु स्वीकृत राशि 56.98 लाख (छप्पन लाख अठानबे हजार) रु० की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विमुक्त राशि के विरुद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत हैं। विश्वविद्यालय द्वारा माँग के अनुरूप कार्यान्वयन एजेन्सी की राशि विमुक्त की जायेगी।

5. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार



को अंकेक्षण का अधिकार होगा। आवश्यकता होने पर यथावश्यक निर्णय प्रशासी विभाग द्वारा लिया जा सकता है।

6. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।


7. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53/2007-3758/वि०, दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या-4/कृ०शि०को- 52/2016 के पृ०सं०- 29/टि. पर प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 4/कृ०शि०को- 52/2016 के पृ०सं०- 30/टि. पर दिनांक-19.02.18 को प्राप्त है।


10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
27.2.2018  
(सुधीर कुमार)  
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1129 /कृ०, पटना, दिनांक 27-02-2018  
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
27.2.2018  
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1129 /कृ०, पटना, दिनांक 27-02-2018  
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
27.2.2018  
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1129 /कृ०, पटना, दिनांक 27-02-2018  
प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
27.2.2018  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1129 /कृ०, पटना, दिनांक 27-02-2018  
प्रतिलिपि:- उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, पी.पी.एम. (कृषि विभाग) बिहार, पटना/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग (मुख्यालय) के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा/बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

  
27.2.2018  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0-P-06 / 2016 (अंश)- 632

30 JAN 2018  
842 (2018)

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,  
प्रधान सचिव,  
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,  
प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

कृषि  
सं-जल

पटना, दिनांक - 29/01/2018

विषय- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के मुख्यालय परिसर में बाढ़ सुरक्षात्मक बाँध निर्माण के संबंध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक कृ0शि0को0-52 / 2016-161 दिनांक 11.01.2018

महाशय,

श्री. निरंजन (श्री. मी.)

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि

1. विषयक मामला पुनरीक्षित प्राक्कलन का नहीं है।
2. विषयक कार्य हेतु पूर्व के अनुमानित राशि ₹281.51 लाख में प्रावधानित तटबंध का सुरक्षात्मक कार्य जीयो बैग से प्रावधानित था, जबकि प्रस्तावित कार्यकारी योजना, जो राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद की तकनीकी सलाहकार समिति से अनुशंसित है, में उक्त सुरक्षात्मक कार्य बोल्टर से प्रावधानित है, (सुलभ प्रसंग हेतु दोनों के लागत का सार पत्र एवं तुलनात्मक विवरणी के साथ संलग्न) जिसके कारण अनुमानित अन्तर राशि (₹338.49 लाख-₹281.51 लाख) ₹56.98 लाख है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कृपया विषयक योजना हेतु विभागीय पत्रांक 4194 दिनांक 28.11.2017 से मांगी गई शेष राशि ₹56.98 लाख शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक - यथोक्त

कृषि विभाग, पटना  
दिनांक 01/02/2018  
66

29/01/18  
1/2

विश्वासभाजन

*(Signature)*

(अरुण कुमार सिंह)

प्रधान सचिव,  
जल संसाधन विभाग, पटना



**Comparative statement for difference in of cost for Raising and strengthening work for Flood protection Embankment At B.A.U. Sabour with Geobag Pitching & Boulder Pitching**

Sl. No	Item	Unit	protection work by Geo bag (Estimated cost-Rs. 281.51 lac)			protection work by Boulder (Estimated cost-Rs. 338.49 lac)			Remark
			Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount	
1	2	4	3	5	6	3	5	6	7
1	Preparation of seat of embankment or canals by 75 mm ploughing and removing the grass roots etc.as per specifications and direction of E/I.	Per m <sup>2</sup>				10150 m <sup>2</sup>	3.90	39,585.00	
2	Earth Work by Mechanical means with help of Excavator, Tipper and spreader in canal or embankment, or dhar all type of work like filling and making canal bank or embankment of earth free from logs, roots or any other gradient,desilting of canal bed and dhar in proper profile with dressing and finishing including new construction, repair or restoration in ordinary soil including cutting, loading, carriage from pits to bank or embankment, unloading, spreading, clod breaking and laying in layer properly with lead of ..... and with all lifts all complete jobs as per specification and direction of E/I.(mode of measurement sectional measurement of compacted earth) (5.1.46)								
	Lead upto 1/2 km	per m <sup>3</sup>	6027.49 m <sup>3</sup>	145.50	8,77,000.09	6027.5 m <sup>3</sup>	163.00	9,82,482.50	
	Lead from 2.5 km to 3.0 km	per m <sup>3</sup>	54247.43 m <sup>3</sup>	296.30	1,60,73,512.92	54247.5 m <sup>3</sup>	330.90	1,79,50,497.75	
3	<b>Compacting original ground supporting embankment</b> Loosening levelling and compacting ground supporting embankment to facilitate placement of first layer of embankment, scarified to a depth of 150mm mixed with water at OMCand then compacted by rolling so as to achive minimum dry density as given in table 300-2 for embankment construction. (R.C.D. sor 3.19 )	per m <sup>3</sup>	60274.92 m <sup>3</sup>	49.10	29,59,498.57	60275 m <sup>3</sup>	43.4	26,15,935.00	
4	Providing laying & filling Geo bags of size 1m x 0.7m (type A 300 GSM non woven) weight 420 gm, volume of filled bag 0.07 cum, weight og filled Geo bag 126kg with local sand including stiching in four lines by approved Nylon thread wiyh stiching machine and generator, stacking and placing in gabion of size 1.8m x 1.8m x 0.5m( 18 nos. Geobags per gabion ) after loading, unloading and carriage with help of Trolly within 150m lead, including cess all complete as per specification and direction of E/I.(5.7.48)	Each	339 Nos	5877.00	19,92,303.00				



Sl. No	Item	Unit	protection work by Geo bag (Estimated cost-Rs. 281.51 lac)			protection work by Boulder (Estimated cost-Rs. 338.49 lac)			Remark
			Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount	
1	2	4	3	5	6	3	5	6	7
5	Providing laying & filling Geo bags of size 1m x 0.7m (type A 300 GSM non woven) weight 420 gm, volume of filled bag 0.07 cum, weight of filled Geo bag 126kg with local sand including stitching in four lines by approved Nylon thread with stitching machine and generator, stacking and placing after loading, unloading and carriage with help of Trolley within 150m lead, including cess all complete as per specification and direction of E/I. (5.7.54)	Each	20238 Nos	200.33	40,54,298.78				
6	Providing and Laying of a Geo-textile filter between pitching and embankment slopes on which pitching is laid to prevent escape of the embankment materials through the voids of the stone pitching/cement concrete block as well as to allow free movement of water without creating any uplift head on the pitching as per specifications and direction of E/I	m <sup>2</sup>				10850 m <sup>2</sup>	67.3	7,30,205.00	
7	Providing and laying Boulder Crate including cost of boulder of approved size, Cost of G.I wire, carriage, stacking, rehandlisation and making crates with machine royalty taxes etc. and Labour charge for pitching above water in apron and slope of bank with boulder in Machine wooden crates of specified size (material within 50 mtr lead and all lifts ) including boxing and tying the	Each				203 Nos	9404.2	19,09,052.60	
8	Providing and laying of stone boulder (uncreated) laying in launching apron and slope ( materials within 150 m lead all lifts), including cost of boulder loading unloading & carriage, rehandling, royalty taxes etc all complete as per approved design, specifications and direction of E/I					2384.4 m <sup>3</sup>	2971.4	70,85,006.16	
9	Dismantling pucca brick or lime work including stacking serviceable materials in countable stacks within 15 Meter lead and disposal of unserviceable materials with all leads as per building specification and direction of E/I. (5.8.7)	per m <sup>3</sup>	37.8 m <sup>3</sup>	389.00	14,704.20	37.8 m <sup>3</sup>	409.1	15,463.98	
10	Provision of anti flood sluice gate all complete job	Each	1 no	835000	8,35,000.00	1 no		11,33,000.00	
11	Construction of granular Sub-base by providing coarse graded material ,spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with Vibratory Roller to achieve the desired density, complete as Clause 401.) Grade-1 (RCD SOR Item-4.2)	per m <sup>3</sup>	576 m <sup>3</sup>	2091.56	12,04,738.56	432 m <sup>3</sup>	2334.3	10,08,417.60	
12	Provision of crop compensation	per ha				0.825 ha	256000	2,11,200.00	

Total:  
Add C.N.C. @ 1/2 %  
Grand Total

**Rs. 2,80,11,056.11**  
Rs. 1,40,055.28  
Rs. 2,81,51,111.39  
281.51 Lac

**Rs. 3,36,80,845.59**  
Rs. 1,68,404.23  
Rs. 3,38,49,249.82  
338.49 Lac

